सॅख्याः / XXIV–2 / 2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 30 मार्च जनवरी, 2005

विषयः राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय पौड़ी के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 26/ XXIV–2/2005 दिनॉक 28–1–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार पौड़ी के भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 1313.23 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देयधनराशि रू0 1213.23 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 111.00 लाख (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि को, प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 588/ XXIV–2/2004 दिनॉक 27–8–2004 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 800.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1). आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2). कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3). कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4). एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5). कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताए, तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6). कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

(7). आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8). निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2— निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष/ संस्था को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3— निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था के संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगें।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003—04 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक " 4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—01—सामान्य शिक्षा ——202—माध्यमिक शिक्षा —16—राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण—24— वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 476/वि०अनु०-4/05 दिनॉक 29/3/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्या: 579 (1)/ XXIV–2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— जिलाधिकारी, पौड़ी।
5— कोषाधिकारी, पौड़ी।
6— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल—पौड़ी।
7— परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, पौड़ी।
8— वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ।
9— कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
10— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव